हुकम या कार्यवाही मय हनिशियल जज

मौ० इनीक / सरकार

16-4-18 वकील वादी उपस्थित। प्रति० तलब होकर दिनांक 14-5-18 को पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

1-5-18 आज पत्रावली लोक अदालत में प्राप्त हुई। पं० मु० मांचा पर पेश हुए। अहल प्रति० ने जवाबदावा व प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 जा० दी० पेश किया। पत्रावली पर सुना गया। प्रा०पत्र आदेश 7 नियम 11 जा०दी० स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त खारिज किया जाता है। निर्णय पृथक से अंकित किया गया। मिसल बाद तकमील होकर दाखिल रिकार्ड हो।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्डाधिकारी किशनगढ़-बास [अलवर]

कैम्पकोर्ट ग्राम पं. मु. मांधा दिनांक 1-5-18

===

अध्यासित द्वारा :- श्री सुभाष यादव आर. ए. एस.

दावा संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय तिथि
118	31-10-17	1-5-18

उनवान

1- मोहम्मद हनीफ पुत्र चावखां जाति मेव निवासी मांधा तहसील किशनगढ़-बास जिला अलवर :- वादी

बनाम

1- राज. सरकार जर्ये तहसीलदार किशनगढ़-बास जिला अलवर :-अतल प्रति०

2- सब्बीर हुसैन पुत्र चावखां मेव निवासी मांधा तह. कि. बास:- तर. प्रति०

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आर. टी. एक्ट.

===============

::निर्णय::

पत्रावली पेश हुई। दावे के सूक्ष्म वृतान्त निम्न प्रकार से है:- वादी ने वाद पेश किया कि आ. ख. नं. 754/0.04 वाके मांधा इस वाद में विवादित कहलावेगी। विवादित आराजी खस ख. नं. 754 गै. मु. चाह है जिस पर रामसुभाया ने अपने नाम से कृषि विद्युत कनेक्शन लिया हुआ था जिस विद्युत सम्बन्ध व सिंचाई के समस्त अधिकारों का बेचान भी जरिये इकरारनामा दिनांक 3-6-2000 को वादी व तर. प्रति. के साथ कर दिया था।

उक्त इकरारनामा की पालना में मिन वादी ने उक्त आ. ख. नं. 756, 757 का बयनामा सन् 2001 में अपने भाई तर. प्रति. के नाम से सहमति से करा दिया था। विवादित गै. मु. चाह से मिन वादी व तर. प्रति. की आराजी सिंचित होती रही है जिसके राजस्व रिकार्ड में सिंचाई का साफ विवादित गैर मु. चाह अंकित है जिससे मिन वादी व तर. प्रति. शांति पूर्वक काबिज व दाखिल होकर सिंचाई करते चले आ रहे हैं। बाद करीब मिन वादी व तर. प्रति. ने उक्त चाह में बोरिंग किया है तथा मोटर डाली हुई है तथा मिन वादी व तर. प्रति. अपने घरों का पानी भी यहीं से भरते आ रहे हैं।

मिन वादी सन् 2001 से उक्त चाह का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं मौके पर हमारा कब्जा है तथा विद्युत कनेक्शन जारी है जिससे सिंचाई करते चले आ रहे है। इसलिए मिन वादी व तर. प्रति. को जर्ये सहवर्ती पजेश [कब्जा मुखालफाना] काबिज काश्त खातेदार काश्तकार हो गये हैं तथा स्वंय को काबिज काश्त खातेदार काश्तकार घोषित कराने व इसी कदर

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

—2—

Scanned by CamScanner

से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कराने के हकदार है कि जिसके लिए दावा हाजा दायर करना लाजिम आया है।

अतः प्रार्थना है कि हस्ब जैल दादरसी अता फरमाई जावे:-

[अ] डिक्री इस्त्राय इस्तकरारहक बहक वादी व तर. प्रति. खिलाफ असल प्रति. सादिर फरमाई जाकर घोषित किया जावे कि आराजी खस नं. 754/0.04 ग्राम मांचा तहसील किशनगढ़-बास के वादी काश्त मालिक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन दर्ज किया जावे।

[ब] जरिये हु. इ. दवामी प्रति. को पाबन्द किया जावे कि विवादित गैर मु. चाह से वादी को बेदखल ना करे, ना ही जबरन कब्जा करें, ना ही गैरमु. चाह के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार से मजाहमत पैदा करे, ना ही दीगर किसी को आवंटित करे, राजस्व रिकार्ड व मौका की यथावत स्थिति कायम रखें।

[स] खर्चा हरजा मुकदमा वादी को प्रतिवादी असल से दिलाया जावे।

[द] दीगर दादरसी जो नजदीक अदालत मुनासिब हो बहक वादी बख्शी जावे

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी

को जरिये सम्मन तलब किया गया। आज कोर्ट कैम्प के दौरान असल प्रति. पैरोकार सरकार ने वादी के वाद को अस्वीकार करते हुये जवाबदावा व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया। विवादित आराजी के संबंध में उपस्थित ग्रामवासियान से जानकारी ली गई।

प्रति. असल ने प्रा. पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. पेश किया कि आ. ख. नं. 754/0.04 वाके ग्राम मांचा का एक वाद सं. 1/13 निर्णय दिनांक 30-9-13 मुंशी खां बनाम सरकार न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णित किया जा चुका है। हस्तागत प्रकरण भी उसी आ. ख. नं. 754 बाबत पेश किया गया है जबकि उक्त ख. नं. का फैसला श्रीमान द्वारा पूर्व में किया जा चुका है अब दोबारा उसी ख. नं. पर वाद सुनने का श्रीमान न्यायालय को अधिकार नहीं है। न्यायालय श्रीमान द्वारा निर्णय में दावा खारिज किया था तथा उस निर्णय की अपील श्रीमान राजस्व अपील अधिकारी अलवर द्वारा स्वीकार की जाकर दावा डिक्री किया जा चुका है उक्त डिक्री के विरूद्ध सरकार द्वारा मा. राजस्व मण्डल अजमेर में अपील दायर की हुई है जो विचाराधीन है। अतः श्रीमान से निवेदन है उक्त वाद को आदेश 7 नियम 11 जा.दी. की पालना में खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात व पूर्व निर्णय तथा प्रति. द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र का अवलोकन किया। प्रस्तुत जमाबन्दी के अनुसार आराजी विवादित सरकारी खाते में दर्ज है जो असल प्रति. लैण्ड होल्डर भी है।

उप जिला कलेक्टर
किशनगढ़-बास (अलवर)

जब इस आराजी का वाद पूर्व में ही न्यायालय हाजा द्वारा निर्णित किया जा चुका है और जिसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन है तो हस्तगत वाद आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के तहत विधि द्वारा वर्जित है जो वाद कानूनन चलने योग्य नहीं है। वाद वादी काबिल खारिज है।

अत: आदेश हैं कि:-

प्रतिवादी असल का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. स्वीकार किया जाकर वाद वादी विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा वाद वादी स्वयं वहन करेगा। पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय लोक अदालत कैम्प कोर्ट मांचा में सुनाया गया।

उपखण्डाधिकारी
किशनगढ़-बास ﴾अलवर﴿
कैम्प कोर्ट मांचा

Scanned by CamScanner